

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला-चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2024-25/1852

दिनांक :- 25/07/2024

-:: संशोधित ई-नीलामी सूचना ::-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका रावतभाटा द्वारा श्रीगणेश नगर आवासीय के भूखण्डों एवं बालाजी नगर (आई.डी.एस.एम.टी.) व्यावसायिक योजना के निर्मित दुकानों की ई-नीलामी सूचना पत्रांक 1656 दिनांक 15.07.2024 से जारी की गयी थी। जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में पत्रांक 1676 दिनांक 15.07.2024 से करवाया गया, जिसके अनुसार उक्त भूखण्डों एवं निर्मित दुकानों की ई - नीलामी दिनांक, धरोहर राशि तथा भागीदारी शुल्क जमा करने की तिथियों में तालिका अनुसार संशोधित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पूर्व निर्धारित नीलामी दिनांक	संशोधित नीलामी दिनांक
01	29.07.2024	12.08.2024
02.	30.07.2024	13.08.2024
03.	01.08.2024	21.08.2024
04.	02.08.2024	22.08.2024
05.	06.08.2024	23.08.2024
06.	07.08.2024	28.08.2024


नोट :-

- (1) भूखण्ड/निर्मित दुकान की ई-नीलामी निर्धारित संशोधित दिनांक को प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक की जावेगी।
- (2) भूखण्ड/निर्मित दुकान की धरोहर राशि/भागीदर शुल्क नीलामी दिनांक से एक दिवस पूर्व सायं 5 बजे तक ऑनलाईन जमा ली जावेगी।
- (3) शेष शर्तें व नियम यथावत् पूर्वानुसार रहेगे।



(मधु कंवर हाडा)
अध्यक्ष

नगर पालिका, रावतभाटा



(मुकेश नागर)
अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका, रावतभाटा

क्रमांक/नपारा/भूमि/ 2024-25/ 1853-61

दिनांक :- 25/07/20

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर (राज0)।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ को सूचनार्थ।
3. श्रीमान् उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर (राज0)।
4. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, रावतभाटा।
5. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका, रावतभाटा।
6. समस्त सदस्यगण, नीलाम समिति, नगर पालिका, रावतभाटा।
7. श्रीमान् मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय, राजस्थान संवाद, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त संशोधित ई-नीलामी सूचना को समाचार पत्र दैनिक भास्कर, कोटा व राजस्थान पत्रिका, कोटा के आगामी स्थानीय संस्करण में प्रकाशित कराकर प्रकाशन की तीन प्रतियों के साथ भुगतान योग्य बिल इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।
8. प्रभारी, स्टोर शाखा को भेजकर लेख है कि उक्त संशोधित ई-नीलामी सूचना का प्रचार-प्रसार किया जावे।
9. नोटिस बोर्ड, नगर पालिका कार्यालय/उपखण्ड कार्यालय/तहसील कार्यालय एवं शहर के मुख्य चौराहो पर चस्पा हेतु।
10. सुरक्षित प्रति।



(मुकेश नागर)

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका, रावतभाटा